तत्काल/मा. उच्च न्यायालय के आदेश
संख्याः 1641 /सीजीए/9-5-14-18(20)/2011मू.वि.

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास विभाग (गंगा सेल), लखनऊः दिनांक 2 दिसम्बर 2014

विषयः मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर रिट याचिका संख्या 4003/2006-रिः गंगा पोल्यूशन बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य में मा. न्यायालय द्वारा गंगा व यमुना नदी में मूर्ति विसर्जन पर लगाये गये प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में जन जागरूकता एवं स्वैच्छिक अनुपालन को बढावा दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर रिट याचिका (पी.आई.एल.) संख्या 4003/2006-रिः गंगा पोल्यूशन बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य में मा. उच्च न्यायालय द्वारा गंगा तथा यमुना नदी में मूर्ति विसर्जन पर लगाये गये प्रतिबन्ध के अनुपालन में जन जागरूकता एवं स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 26.09.2014 को आदेश पारित किये गये हैं जिनका क्रियात्मक अंश निम्नवत् हैः-

(i) In particular, it is necessary for the district administrations to embark upon a programme of generating awareness amongst the citizens in regard to the availability of environmental friendly alternative options which would in no manner infringe upon the performance of the religious rites and duties.

(ii) We also make it clear that in the orders that have been delivered by this Court at the Lucknow Bench a few days ago, we have also indicated that it is necessary for the district administration to take all necessary precautions to protect and preserve peace and tranquility and the orders which have been passed by the Court should not be construed in any manner as impeding or obstructing the discretion of the authorities on the ground to deal realistically with situations requiring urgent attention.

2. मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उपर्युक्त पारित किये गये आदेश तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मूर्ति विसर्जन हेतु तैयार की गयी गाइडलाइन्स के अनुसार मूर्ति विसर्जन करने के लिए मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 01 जुलाई, 2014 के अनुपालन में निम्नानुसार विस्तृत कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गयी है, जिसके अनुसार जन जागरूकता एवं स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित किया जायः-

(1) मूर्ति का विसर्जन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार वैकल्पिक स्थान/तालाब में करने हेतु जन सामान्य को प्रिन्ट मीडिया (अखबार) एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया (टेलीविजन/रेडियो/चलचित्र/मोबाइल) के माध्यम से अवगत कराया जाय।

(2) समय-समय पर मूर्ति विसर्जन के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी नुक्कड़ नाटकों एवं रैली के माध्यम से दिया जाय।

(3) जन जागरूकता कार्यक्रम के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु पैम्फलेट, होर्डिंग्स, साईनबोर्ड एवं मोबाइल वैन द्वारा आवश्यक संदेश प्रसारित कराया जाय।

(4) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल व कालेजों में वाद-विवाद प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, प्रभातफेरी आदि का आयोजन कराया जाय।

(5) प्रबुद्ध जनों व सम्भ्रान्त नागरिकों को आमंत्रित कर जन जागरूकता एवं स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने हेतु सेमिनार का आयोजन किया जाय।

(6) विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों, जनजागरूकता समूहों एवं जन कल्याण समितियों के माध्यम से जन जागरूकता एवं स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ाने की कार्यवाही की जाय।

(7) जिले के विभिन्न अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से विभिन्न धार्मिक संगठनों के साथ बैठकें आयोजित कर इस सम्बन्ध में जागरूकता एवं स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ाने हेतु प्रयास किये जायें।

(8) जिले के सम्बन्धित अधिकारियों, पुलिस विभाग एवं सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा नवरात्रि उत्सव/गणेश चतुर्थी/मोहर्रम आदि महत्वपूर्ण पर्वों के आयोजन से एक माह पहले से व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु विशेष प्रयास किये जायें।

(9) नदियों के प्रदूषण के दुष्परिणामों से मानव व जीव-जन्तुओं पर पड़ने वाले कुप्रभावों पर चित्रकला/प्रदर्शन/निबन्ध प्रतियोगिता/सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि आयोजित किया जाय।

3. उक्त सन्दर्भ में यह भी निदेशित किया जाता है कि मा. न्यायालय/न्यायाधिकरण के उक्त आदेशों के अनुपालन में वैकल्पिक व्यवस्था किये जाते समय यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इस कार्यवाही से धार्मिक अनुष्ठान, सामाजिक सद्भाव व कानून व्यवस्था किसी भी दशा में प्रतिकूल रूप से प्रभावित न होने पाए।

4. अतः कृपया उपरोक्त वर्णित जन जागरूकता एवं स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही सम्बन्धी अनुपालन आख्या से नगर विकास विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

<u>पृ.सं. एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग/पर्यावरण विभाग/सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ.प्र. शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3. सदस्य सचिव, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

आज्ञा से,

01/12/2018
(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।